BEFORE THE BOARD OF REVENUE AT GWALIOR CIRCUIT BENCH AT JABALPUR

Revision Case no /2016 C

APPLICANT-

negator cotto

Smt. Charusheela Pohankar Aged about 54 years W/o Mukund Rao Pohankar House no 669, Gol Bazar Jabalpur M.P



NON APPLICANT-

- M.P Housing and Infrastructure Development Board Earlier Known As M.P Housing Board Through Executive Engineer (Sambhag-1), Hathital, Jabalpur
- 2. State of Madhya Pradesh Through the Collector Jabalpur

REVISION UNDER SECTION 50 OF M.P LAND REVENUE CODE 1959

Being aggrieved by order dated 06.04.2016 (Document no A/1) passed in case no 67/A-6/2004-2005 passed by Commissioner Jabalpur arising out of order dated 19.05.2005 (Document no A/2) passed by the Sub Divisional officer Jabalpur whereby the order of the tehsildar dated 22.03.2003 (Document no A/3) has been set aside the applicant most humbly and respectfully prefers the present revision application and submits as under-

FACTS OF THE CASE 1 Vbb 5018

The Applicant most humbly and respectfully submits as under-

1. The applicant is resident, holder and owner of land bearing khasra no 23/1 situated at Village Purva admeasuring an area of 4.096 hectares.

2. That the above khasra number was carved out in the year 1974 from one khasra number i.e Khasra number 23 admeasuring 4.322 hectares on account of laying down of a public drain. That upon such division of Khasra no 23, two new khasra nos were formed i.e Khasra no 23/1 (applicant's land) and Khsara no 23/2 admeasuring 4.096

श्रीमती चारूशीला पोहनकार विरुद्ध म.प्र. गृह निर्माण मंडल आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश; ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 ¹³⁴⁵ – एक / 16

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि
		के हस्ताक्षर
02-5-16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता	
	एवं स्थगन के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आलोच्य आदेश	
	द्वारा विद्वान अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर	
	निरस्त किया गया है कि ग्राम पुरवा की प्रश्नाधीन भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा	
	नगरीय अतिशेष घोषित किया गया है । शासन के नाम दर्ज इस जमीन का	
	नामांतरण निजी व्यक्ति के नाम करने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं	
	है । उनका यह निष्कर्ष भी उचित है कि वर्तमान में नगरीय अतिशेष घोषित	
	भूमि से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और	
	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही सीलिंग भूमि संबंधी विवाद	
	का निराकरण हो सकता है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त के	•
	आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह	
	निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।	
	प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।	
	Cally Cally	
	सद्भि	
Kara Cara		
	·.	
	ď	